न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 95/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/119

1. रुड़सिंह पुत्र सुचासिंह जाति जटसिख निवासी 3 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर। ।
2. सुचासिंह पुत्र ज्ञानसिंह फौत जरिये वारिस–

2/1 रूड़सिंह पुत्र सुचासिंह जाति जटसिख निवासी 3 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/2 कपूरसिंह पुत्र सुचासिंह जाति जटसिख निवासी 3 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/3 सुखविन्द्र कौर सुचासिंह जाति जटसिख निवासी 3 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अपीलांट्स
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 28.12.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.07.1995 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1— तहसील श्रीविजयनगर के चक 3 जेएसडी के मुरब्बा नंबर 124/363 व 124/364 की तादादी 48 बीघा भूमि का आवंटन श्री लालचन्द पुत्र हरनामदास जाति अरोड़ा, जैतसर को दिनांक 08.05.1972 को हुआ। उक्त भूमि के मुरब्बा नंबर 124/363 के किला नंबर 1 ता 11 व किला नंबर 15 की 18 बिस्वा कुल तादादी 10 बीघा 18 बिस्वा का विक्रय दिनांक 02.01.1973 को रुड़सिंह पुत्र सुचासिंह एवं सुचासिंह पुत्र ज्ञानसिंह को जरिये बैयनामा विक्रय कर दिया। उक्त विक्रयशुदा भूमि का सहायक उपनिवेशन आयुक्त, रायसिंहनगर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.11.1984 द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 28.05.1993 द्वारा सहायक उपनिवेशन आयुक्त, रायसिंहनगर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.11.1984 को निरस्त किया जाकर इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया कि सभी संबधित पक्षों एवं आवंटित को नोटिस देकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तीन माह के अन्दर मैरिट के आधार पर मामले का निस्तारण किया जावे। अपीलांट्स ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत नियमन हेतु अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को आवेदन प्रस्तुत किया। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 19.07.1995 द्वारा उक्त विवादित भूमि को रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज होने के आधार पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 19.07.1995 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्त अपील को आदेश दिनांक 29.07.1995 द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया।

अपीलांट्स ने दिनांक 03.03.2021 को रेस्टोरेशन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उक्त रेस्टोर प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.07.2021 को स्वीकार कर लिया गया। अपीलांट सुचासिंह के वारिस रूड़सिंह, कपूरसिंह एवं सुखविन्द्रकौर ने विवादित भूमि की पैरवी एवं कार्यवाही के अधिकार श्री हरजिन्द्रसिंह पुत्र श्री जगदेवसिंह जाति जटसिख, साकिन 3 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर को जरिये दस्तावेज मुख्यारनामा दिनांक 18.08.2021 को प्रदान किए। राजस्व ग्रुप–6 विभाग जयपुर के अधिसूचना संख्या 1(17) राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक स्था/2022/235 दिनांक 07.06.2022 द्वारा पत्रावली इस न्यायालय को अग्रिम सुनवाई हेतु प्राप्त हुई।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बालकिशन शर्मा जरिये मुख्त्यार आम ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि के मुरब्बा नंबर 124/363 के किला नंबर 1 ता 11 व किला नंबर 15 की 18 बिस्वा कुल तादादी 10 बीघा 18 बिस्वा दिनांक 02.01.1973 को लालचंद पुत्र हरनामदास अरोड़ा से क्रय की एवं आदिनांक तक अपीलांट का कब्जा—काश्त है। उक्त क्रयशुदा भूमि को सहायक उपनिवेशन आयुक्त, रायसिंहनगर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.11.1984 द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 28.05.1993 द्वारा सहायक उपनिवेशन आयुक्त, रायसिंहनगर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.11.1984 को निरस्त किया जाकर इस आदेश के साथ रिमाण्ड की गई कि सभी संबधित पक्षों एवं आवंटित को नोटिस देकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तीन माह के अन्दर मेरिट के आधार पर मामले का निस्तारण किया जावे। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 28.05.1993 की पालना आदिनाक तक नही की गई है। उपतहसीलदार (राजस्व) जैतसर की रिपोर्ट में भी अपीलांट पक्ष का पिछले 20 वर्षो से कब्जा काश्त बताया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश उचित नहीं है क्योंकि रकबाराज का आदेश ही निरस्त किया जा चुका है तो इस आधार पर प्रार्थना—पत्र खारिज नही किया जा सकता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.1995 को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त प्रकरण में नियमन की कार्यवाही की जावे।

3— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट के अनुसार वादगत भूमि रकबा राज दर्ज है। ऐसी स्थिति में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत शुल्क जमा कराने का कोई आधार नहीं है। अतः अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश उचित है।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादगत भूमि के संबंध में उपतहसीलदार (राजस्व) जैतसर जिला श्रीगंगानगर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी। उपतहसीलदार जैतसर ने अपनी रिपोर्ट में चक 3 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर के मुरब्बा नम्बर 124/363 के किला नम्बर 1 ता 11 व किला नम्बर 15 की कुल 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कब्जा अपीलांट के पक्षकारों के पास 20 वर्षो से होना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बताया है। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 28.05.1993 द्वारा उक्त विवादित भूमि के प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की है कि तीन माह के अन्दर मेरिट के आधार पर मामले का निस्तारण किया जावे, जिसकी पालना आदिनांक तक अपेक्षित है। अतः अपील अपीलांट आशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता हैं तथा अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में नियमानुसार नियमन की कार्यवाही करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर